भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–220024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/यू.पी./04/100/2016/एफ.सी./337 दिनॉकः 09.10.2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण)
एवं नोडल अधिकारी,
वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

ONLINE PROPOSAL NO: FP/UP/TRANS/21588/2014

विषयः 800 के0वी0 एच0वी0डी0सी0 चम्पा–कुरूक्षेत्र पारेषण लाईन के निर्माण हेतु मैनपुरी में प्रभावित 0.9591 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 142 वृक्षों के पातन, एटा में प्रभावित 0.5658 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 20 वृक्षों के पातन, कासगंज में प्रभावित 0.9315 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 159 वृक्षों के पातन, अलीगढ में प्रभावित 0.4457 हे0 एवं उस पर अवस्थित 211 वृक्षों के पातन एवं बुलन्दशहर में प्रभावित 0.8073 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं उस पर अवस्थित 44 वृक्षों के पातन कुल 3.7094 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित कुल 576 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ : मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक–520/11–सी–चम्पा–कुरूक्षेत्र/लाईन (3.7094 हे.)/, दिनांक–11.09.2019.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक–941/चम्पा–कुरूक्षेत्र लाईन(समेकित)/03, दिनांक–28.10.2016 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार 800 के0वी0 एच0वी0डी0सी0 चम्पा–कुरूक्षेत्र पारेषण लाईन के निर्माण हेतु मैनपुरी में प्रभावित 0.9591 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 142 वृक्षों के पातन, एटा में प्रभावित 0.5658 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 20 वृक्षों के पातन, कासगंज में प्रभावित 0.9315 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 159 वृक्षों के पातन, अलीगढ में प्रभावित 0.4457 हे0 एवं उस पर अवस्थित 211 वृक्षों के पातन एवं बुलन्दशहर में प्रभावित 0.8073 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं उस पर अवस्थित 44 वृक्षों के पातन कुल 3.7094 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित कुल 576 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती हैः–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात् (3.7094 x 2= 7.4188 ha.) 7.4188 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा पारेषण लाईन के नीचे (Right of way) में बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जाएगा। उक्त वृक्षारोपण का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 01 वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाएगा।
4. अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।
5. क्षतिपूरक वृक्षारोपण शुद्ध वर्तमान मूल्य एवं अन्य सभी धनराशि Campa fund में e-portal द्वारा जमा की जाएगी एवं e-receipt उपलब्ध करवाई जाएगी।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर पक्षियों के बचाव के लिए bird deflector उपलब्ध करवाया जाएगा जिसे पारेषण लाईन upper conductor पर स्थापित किया जाएगा।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मंत्रालय के पत्रांक 7–25/2012–एफ.सी दिनांक 05.05.2014 द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

8. प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा निर्देश दिनांक 29.01.2018 के अनुसार दंडात्मक एन.पी.वी. एवं ब्याज की गणना राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की जाएगी तथा उसकी वसूली एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए ससमय अनुपालन समर्पित किया जाएगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया जाएगा प्रस्ताव में दिए गए ले आउट मैप में बिना भारत सरकार के पूर्वानुमति के परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
10. परियोजना से संबंधित समान ढुलाई के लिए एवं अन्य प्रयोजन के लिए अतिरिक्त मार्ग निर्माण नहीं किया जाएगा।
11. पारेषण लाईन का संरेखण इस प्रकार किया जाएगा कि इसमें काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम हो।
12. पारेषण लाईन के लिए राइट आफॅ वे (right of way) की चौड़ाई 69 मीटर तक सीमित रहेगी।
13. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्पोजल कार्ययोजना के अनुसार वन विभाग की देख–रेख में किया जायगा।
14. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एंव जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।
15. प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।
16. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
17. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।
18. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
19. प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। प्रत्येक पीलर पर क्रमांक ई0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जाएगी। उक्त सीमांकन का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 03 माह के भीतर पूर्ण किया जाएगा।
20. सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में कृत वैधानिक कार्रवाई की सूचना अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करेंगे।
21. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।
22. सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना ई0पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जाएगी।

प्रस्ताव में निहित निर्धारित शर्तों का पूर्ण एवं संतोषजनक अनुपालन प्राप्त होने पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्ताव की विधिवत् स्वीकृति जारी की जाएगी।

भवदीय,

(के0 के0 तिवारी)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर वन महानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
3. प्रमुख सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनुभाग–2, लखनऊ।
4. अपर मुख्य वन संरक्षक, आगरा जोन, आगरा।
5. प्रभागीय निदेशक, मैनपुरी, एटा, कासगंज, अलीगढ़, बुलन्दशहर।
6. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश पत्रावली।

5/10/17

(के0 के0 तिवारी)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}